E-Mail

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)
संचिका सं0–03/भू0अ0नि0 (7) अपील–09/2024..........................

आदेश

निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना के आदेश सं0–390 दिनांक–18.01.2024 के विरूद्ध अपीलार्थी श्री मो0 नबाव शाजिद इकबाल (Emp. Id.- SKN00906), विशेष सर्वेक्षण कानूनगो, बन्दोबस्त कार्यालय, अरवल सम्प्रति शिवहर द्वारा "बिहार विशेष सर्वेक्षण मानदेय आधारित संविदा नियोजन नियमावली, 2019 के नियम–8(4)" में वर्णित प्रावधान के अन्तर्गत प्रस्तुत अपील दायर किया गया है।

निर्धारित तिथि एवं समय पर अपील की सुनवाई की गयी।

उभयपक्ष उपस्थित।

उभयपक्षों को सुनकर अपील आदेश पर रखा गया।

अपीलार्थी का वाद संक्षिप्त रूप में निम्नवत है।

श्री मो0 नबाव शाजिद इकबाल, विशेष सर्वेक्षण कानूनगो के द्वारा रैयतों से वकास्त भूमि के (रैयतीकरण) रैयत के नाम से खाता खोलने के एवज में 40,000 (चालीस हजार) रूपये अवैध राशि की मांग से संबंधित सुश्री बहन श्वेता, विशेष सर्वेक्षण अमीन से हुई वार्त्तालाप के ऑडियों वायरल हुआ। उक्त वायरल ऑडियों के आलोक में निदेशालय पत्रांक–9082 दिनांक–30.11.2023 द्वारा मो0 इकबाल से अवैध राशि लेन–देन/संलिप्तता के आरोप में स्पष्टीकरण की मांग किया गया है। अपीलार्थी द्वारा निर्धारित अवधि में अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया गया है।

अपीलार्थी ने अपने स्पष्टीकरण में वायरल ऑडियो के संबंध में अनभिज्ञता जाहिर करते हुए उल्लेख किया गया है कि इन्होंने सर्वेक्षण कार्यों को लेकर कई बार विशेष सर्वेक्षण अमीनों से दूरभाष पर वार्त्तालाप की है। उनका आगे कहना है कि विशेष सर्वेक्षण अमीन सुश्री बहन श्वेता द्वारा पूर्व में दूरभाष से संपर्क किया गया था, जिसमें राजस्व ग्राम, नदौरा के बकाश्त भूमि पर चर्चा की गई है, जिसका रकबा दस्तावेज के अनुसार लगभग 40 (चालीस) कट्ठा थी एवं शेष रकबा से जुड़ा साक्ष्य/दस्तावेज को उपलब्ध कराने की बात कही गई थी। साथ ही इनके द्वारा यह भी अंकित किया गया है कि सुश्री श्वेता को टैग राजस्व ग्राम, नदौरा से जुड़े रैयतों द्वारा शिकायत आ रही थी, कि इनके द्वारा गलत तरीकों से एवं मनमाने ढंग से पैसा लेकर गलत रैयत के नाम से बिना साक्ष्य के खाता खोला जा रहा है। अमीन पर कार्रवाई के सम्बन्ध में अपीलार्थी द्वारा कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है और न ही ऑडियों के सम्बन्ध में कोई सफाई दी गयी है।

अपीलार्थी से प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना द्वारा की गयी। समीक्षा में पाया गया है कि आरोपित द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण तथ्यहीन है क्योंकि वायरल ऑडियों को सुनने के पश्चात् यह स्पष्ट होता है कि इनके द्वारा सुश्री श्वेता से वार्त्तालाप के क्रम में पैसे भेजवाने की बात कही जा रही है। साथ ही संबंधित अमीन द्वारा यह बोला जा रहा है कि "जमीन का टोटल रकबा 7 एकड है, जिसमें से 5 एकड़ बकाश्त है, जब वह जाएगा पैसा देने, तो देख लीजिएगा।" इसपर मो0 इकबाल द्वारा बोला जा रहा है कि हम उनको बोले थे 50 पर वह नहीं बोले, 40 उनको रखना है (मीनिमम)। इसके साथ ही इनके द्वारा अपना वाट्सएप नम्बर उन्हें देने तथा वाट्सएप कॉलिंग से आज ही फाइनल करने की बात की जा रही है। उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि आरोपित पर भ्रष्टाचार में संलिप्तता स्पष्ट रूप से प्रमाणित होता है। बिहार विशेष सर्वेक्षण कार्यक्रम आम जनता के बीच सहयोग से साथ किये जाने वाला कार्य है, जिसमें इनके द्वारा भ्रष्टाचार करने तथा अपने अधीनस्थ कर्मी को भ्रष्टाचार करने के लिए उकसाने जैसा कृत्य किया गया है। इनके इस कृत्य से विशेष सर्वेक्षण जैसे कार्य के प्रति आमजन में अविश्वास की भावना उत्पन्न होगी एवं इसका कुप्रभाव अन्य कर्मियों पर भी पड़ सकता है। भ्रष्टाचार में संलिप्त रहने एवं भ्रष्टाचार करने हेतु अपने अधीनस्थ कर्मियों के उकसाने के आरोप में इनका संविदा नियोजन समाप्त किया गया है।

अपीलार्थी का कथन है कि मेरा नियोजन बन्दोबस्त कार्यालय, पश्चिमी चम्पारण (बेतिया) में किया गया था। इस जिले में पदस्थापन के दौरान मैंने अपने कर्त्तव्यों के निर्वहन पूरी ईमानदारी एवं निष्ठा से की है। बेतिया से मेरा स्थानांतरण अरवल किया गया। अरवल जिला में पदस्थापन के उपरांत कुर्था–03 शिविर में मुझे पदस्थापित किया गया। योगदान के पश्चात मैने अपने शिविर के सभी अमीनों की याद्दाश्त पंजी का जाँच किया तथा याद्दाश्त पंजी पर टिप्पणी में अंकित किया कि अपना सभी दस्तावेज/साक्ष्य प्रस्तुत करे ताकि आप सभी के याद्दाश्त पंजी पारित करने के कार्य को निष्पादित किया जा सकता है। इसी दरम्यान विशेष सर्वेक्षण अमीन बहन श्वेता (Emp. Id.- AEN01243) को आवंटित राजस्व ग्राम–नदौरा (थाना नं0–137) के याद्दाश्त पंजी की जाँच की गयी। जाँच में बिना किसी वैधानिक दस्तावेज/साक्ष्य प्राप्त किए इनके द्वारा वर्त्तमान दखलकार के नाम से खाता दर्ज किया गया था। जब मैंने इनसे याद्दाश्त पारित करने हेतु दस्तावेज/साक्ष्य उपलब्ध कराने हेतु कहा तो बहन श्वेता के द्वारा बिना साक्ष्य के याद्दाश्त पारित करने का दबाव बनाया जाने लगा। याद्दाश्त पारित करने हेतु जब मैंने मना किया तो मुझे धमकी भरे लहजे में कहने लगी यहाँ ऐसे ही चलता है, आप नये हो मेरा याद्दाश्त ऐसे पारित करना होगा नहीं तो आपको महँगा पड़ेगा। जब इनकी (बहन श्वेता) मंशा पूरी नहीं हुई तो ये मुझ पर झूठा भ्रष्टाचार का आरोप लगा कर मुझे फसाने एवं विभाग की दृष्टि में मेरी छवि धूमिल करने का प्रयास किया गया तथा वायरल ऑडियो क्लिप के जरिए मुझे साजिश कर फसाया गया है।

अपीलार्थी के कथन, निदेशालय के मंतव्य तथा संलग्न अभिलेख के अवलोकन एवं वायरल ऑडियो क्लिप के श्रवण से स्पष्ट होता है कि मो0 इकबाल, अरवल, कुर्था–03 शिविर में पदस्थापित रहे है। विशेष सर्वेक्षण की प्रक्रिया के दौरान मो0 इकबाल द्वारा सभी अमीनों की याद्दाश्त पंजी में दस्तावेज/साक्ष्य उपलब्ध कराने की टिप्पणी अंकित की गयी है। सुश्री बहन श्वेता, विशेष सर्वेक्षण अमीन के याद्दाश्त पंजी में दस्तावेज/साक्ष्य उपलब्ध कराने संबंधी टिप्पणी अंकित नहीं है बल्कि भूमि के संबंध में दस्तावेज/साक्ष्य की मांग किये जाने का उल्लेख किया गया है। स्पष्ट है कि मो0 इकबाल द्वारा बकाश्त भूमि के संबंध में विभागीय निदेश के आलोक में नियमानूकुल आदेश पारित न कर भ्रष्ट मंशा/नियत से अभिप्रेत होकर आदेश लंबित रखा गया है। वायरल ऑडियो में हुई वार्त्तालाप भ्रष्टाचार एवं रूपये की उगाही का प्रमाणिक साक्ष्य है, जिस पर अपीलार्थी द्वारा कोई सफाई नहीं दी गयी है। वायरल ऑडियो का कुछ अंश निम्न प्रकार है:–

अमीन– हैलो, हैलो.........

SSASO– हैलो, आवाज आ रही है।

अमीन– यस सर आ रही है।

SSASO– कह रहे है वो रांची वाला क्या बोल रहे थे।

अमीन– वो बोल रहे थे सर की आपहीं को अगर भिजवा दें पैसा तो नहीं होगा ?

SSASO– ....आने में असमर्थ है ?

अमीन– हाँ सर अभी अभी गये है तो नहीं आ पायेगे तो बोल रहे थे की उनके भाई एक पटना में रहते है तो बोल रहे थे कि नवाब इकबाल सर के घर ही पे अगर Address पूछ लिजिएगा तो हम वहीं पहुचवां देंगे।

SSASO– हम्म....................तो उनको आप बोल नहीं दी..........उतना नहीं.........40 के लिए नहीं बोंली

अमीन– नहीं सर हम फोन पर यह सब बात नहीं किये.......बोले की आपसे बात हो गया था...........तो हम नहीं फोन पर बोले थे...

....

SSASO–देखिए हम हम देखिए हम उनको बोले थे कम–से–कम 50 ठीक है.......

अमीन– यस सर

SSASO–तो वो बोले की नहीं हो पायेगा................की वजह से। कम–से–कम.......... 40 जो है उनको रखना है ठीक न 40 Minimum

अमीन– सर हम बोल देते है।

SSASO– आप उनको Whatsapp के माध्यम से.....

अमीन— सर वो आप ही से.. आप ही से बात करेंगे सर अब, हमसे बोले की पूछ कर सर...
SSASO— वो मेरा.. मेरा.. सुनिये न मेरा Whatsapp नम्बर तो यह है ही.. जिस पर बात हो रही है, आप दे दिजिए, बोलिए की सर का यह Whatsapp नम्बर है Whatsapp calling से आज ही बात कर के Final कर लिजिए, सर आपको बता देंगे।
अमीन— ठीक है सर हम बोल देते है कि सर से बात कर लिजिए Whatsapp पर फोन कर के।
SSASO— हाँ Whatsapp पर ही बोलियेगा।
अमीन— ठीक है सर

संलग्न अभिलेख की विवेचनोपरान्त स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा अपने कृत्य को छुपाने के लिए अन्य पदाधिकारी/कर्मियों पर दोषारोपण प्रतिवेदित करने का प्रयास किया गया है। भ्रष्टाचार में संलिप्त रहने एवं भ्रष्टाचार करने हेतु अपने अधीनस्थ कर्मियों के उकसाने के आरोप में निदेशालय द्वारा कृत कार्रवाई सर्वथा उचित है।

अतः निदेशक, भू—अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना के आदेश संख्या—390 दिनांक—18.01.2024 में कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

अतः श्री मो0 नबाव शाजिद इकबाल (Emp. Id.-SKN00906), विशेष सर्वेक्षण कानूनगो, बन्दोबस्त कार्यालय, अरवल सम्प्रति शिवहर द्वारा दायर अपील को अस्वीकृत किया जाता है।

ह0/—
अपर मुख्य सचिव—सह—
अपीलीय प्राधिकार

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू—अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

E-Mail

ज्ञापांकः— 03/भू0अ0नि0 (7) अपील—09/2024......13765......**पटना, दिनांक :—**...12/09/2024

प्रतिलिपिः— श्री मो0 नबाव शाजिद इकबाल (Emp. Id.-SKN00906), विशेष सर्वेक्षण कानूनगो, बन्दोबस्त कार्यालय, अरवल सम्प्रति शिवहर Email ID-iqbal150000@gmail.com को सूचनार्थ प्रेषित।

11.9.24
उप निदेशक—सह—
निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी
भू—अभिलेख एवं परिमाप
बिहार, पटना।

ज्ञापांकः— 03/भू0अ0नि0 (7) अपील—09/2024......13765......**पटना, दिनांक :—**...12/09/2024

प्रतिलिपिः— बन्दोबस्त पदाधिकारी, अरवल/शिवहर/सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी (मु0), अरवल/शिवहर को सूचनार्थ प्रेषित।

11.9.24
उप निदेशक—सह—
निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी
भू—अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांकः— 03/भू0अ0नि0 (7) अपील—09/2024......13765......**पटना, दिनांक :—**...12/09/2024

प्रतिलिपिः— प्रशाखा पदाधिकारी, भू—अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

11.9.24
उप निदेशक—सह—
निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी
भू—अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांकः– 03 / भू0अ0नि0 (7) अपील–09 / 2024....13765....पटना, दिनांक :–....12/09/2024....

प्रतिलिपिः– निदेशक कोषांग, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

11.9.24

उप निदेशक–सह–
निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांकः– 03 / भू0अ0नि0 (7) अपील–09 / 2024....13765....पटना, दिनांक :–....12/09/2024....

प्रतिलिपिः– अपर मुख्य सचिव–सह–अपीलीय प्राधिकार, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

11.9.24

उप निदेशक–सह–
निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांकः– 03 / भू0अ0नि0 (7) अपील–09 / 2024....13765....पटना, दिनांक :–....12/09/2024....

प्रतिलिपिः– श्रीमती सरिता कुमारी, प्रोग्रामर, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

11.9.24

उप निदेशक–सह–
निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी
भू–अभिलेख एवं परिमाप